भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2651

दिनांक 04.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

प्लास्टिक की तैयार वस्तुओं का आयात

2651. श्री डी.के. सुरेश:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की तैयार वस्तुओं का आयात देश में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का वर्ष-वार कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ग) क्या सरकार को प्लास्टिक की वस्तुओं के देश में आयात पर अंकुश लगाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को प्लास्टिक की तैयार वस्तुओं के देश में आयात पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्री भगवंत खुबा)

(क): जी, हां। देश में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की तैयार वस्तुओं का आयात किया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान प्लास्टिक वस्तुओं का वर्ष-वार आयात निम्नानुसार हैं:

(आयात मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण (एचएस कोड)	2020-21	2021-22	2022-23
1.	मोनो फिलामेंट (3916)	385	640	846
2.	ट्यूब, पाइप, होज (3917)	1372	1924	2165
3.	प्लास्टिक की फ्लोर कवरिंग (3918)	292	405	552
4.	स्वयं चिपकने वाली प्लेटें, शीटें, फिल्म, फॉयल और स्ट्रिप (3919)	2814	3552	4390
5.	अन्य प्लेटें, शीटें, फिल्म, फॉयल और स्ट्रिप गैर सेलुलर और नॉट रीइनफोर्स्ड (3920)	788	12436	14454
6.	अन्य प्लेटें, शीटें, फिल्म, फॉयल और प्लास्टिक की स्ट्रिप (3921)	2780	3846	4287
7.	बाथ, शावर बाथ, सिंक और अन्य सेनेटरी वेयर (3922)	421	736	773
8.	प्लास्टिक का पैकिंग सामान (3923)	2067	2854	2900
9.	टेबलवेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू और शौचालय का सामान (3924)	310	424	514
10.	प्लास्टिक के बिल्डर्स वेयर (3925)	529	624	578
11.	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं (3926)	7024	8934	9474
	कुल	**25882**	**36376**	**40933**

स्रोत: ट्रेड स्टैट, commerce.gov.in

(ग) और (घ): ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए), ऑर्गनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई), प्लास्टइंडिया फाउंडेशन और प्लेक्सकॉन्सिल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें प्लास्टिक के तैयार उत्पादों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10-15% से बढ़ाकर 25% करने का अनुरोध किया गया था। प्लास्टिक के तैयार वस्तुओं पर 10-15% बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) + बीसीडी पर 10% समाज कल्याण अधिभार उपकर (एसडब्ल्यूएस) + 12/18% आईजीएसटी लगता है।

(ङ) और (च): प्लास्टिक की तैयार वस्तुओं पर केंद्रीय बजट 2023-24 के भाग के रूप में आयात शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव की जांच की गई और दर में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया।

*****